16/7/2020

वादी की ओर से प्रकरण विड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र देने पर पत्रावली रिकॉर्ड से तलब होकर पेश हुई। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकारों में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं विड्रॉ करना चाहते हैं वादी की पहचान वकील श्री सुरेन्द्र कुमार कोहरा द्वारा की गई। प्रार्थना विड्रॉ किए जाने का स्वीकार किया जाता है तथा इस्तगासा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी जिला-झालावाड़

वकील

वकील

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:27:55 IST
Reason: SelfAttested